


न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. 69/202..M..

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	11/12/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3/1/25 को पेश हो।
	3/1/25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अवकाश पर है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4/2/25 को पेश हो।
	14.2.25	पत्रावली पेश हुई। सा. अन्य का स्थानान्तरण हो गया। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14/4/25 को पेश हो।
<p data-bbox="247 1243 518 1646"> <i>Identity card</i>  <i>(संलग्न है)</i> </p>	24.5.25	<p data-bbox="518 1052 1428 1702">           अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा मूल वाद में प्रार्थना पत्र प्राप्त पत्रावली तलब करवाने एवं विज्ञापित करने पर पत्रावली आज दिनांक 24/3/25 को तलब की गयी। पत्रावली से संबंधित मूल वाद विज्ञापित प्रार्थना पत्र के आधार पर खरीज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र भर्त्सित धारा 212 R.T.A. में लिखित होने से खरीज किया जाता है। पत्रावली फ़ैल्युमर होकर नंबर से कम होकर यथित रहता है।         </p> <div data-bbox="925 1702 1260 1792" style="text-align: right;">  </div> <div data-bbox="941 1792 1212 1904" style="text-align: right;"> <p>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर रायपुर</p> </div>